निर्यात किया गया जिसके परिणामस्वरूप फैडरेशन को कितनी आर्थिक हानि उठा पड़ी ; और

(ङ) क्या इसके लिए दोषी व्यक्तियों का पता लगाया गया है और यदि हां, तो उनके नाम और पदनाम क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) जी, हां ।

(ख) वर्ष 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान निर्यात की गई लाल मिर्च की मात्रा तथा मूल्य इस प्रकार हैं :—

वर्ष	मात्रा (मीटरी टन)	मूल्य (लाख रुपए)	देश
1992-93	शून्य	—	—
1993-94	207	34.55	श्रीलंका
	115	17.25	बंगलादेश

(ग) से (ङ) वर्ष 1993-94 के दौरान, लाल मिर्च की घटिया क्वालिटी की कोई मात्रा निर्यात नहीं की गई, जिससे नेफेड को आर्थिक नुकसान हुआ हो । तथापि, 1991-92 के दौरान 2888 मीटरी टन के कुल निर्यात में से 137 मीटरी टन की एक खेप लदान-पूर्व परीक्षण किए बगैर ही भेज दी गई, जिसकी वजह से 2.2 लाख रुपए मूल्य का 5 प्रतिशत का क्वालिटी दावा स्वीकार करना पड़ा । इस लापरवाही के लिए नेफेड के संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है । बहरहाल, 1991-92 के दौरान लाल मिर्च के निर्यात से लगभग 60.00 लाख रुपए का कुल मुनाफा हुआ ।

दिल्ली दुग्ध योजना में हो रहा घाटा

6048. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय :**
श्री दिग्विजय सिंह :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केंद्रीय सरकार के अंतर्गत चलने वाली दिल्ली दुग्ध योजना को रोज लाखों रुपए का घाटा हो रहा है जबकि दिल्ली प्रशासन के अंतर्गत चलने वाली मदर डेयरी कम दर पर दूध की बिक्री करते हुए भी मुनाफे में चल रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि वर्ष 1992-93 के दौरान दूध की खरीद और वितरण में भारी धांधली हुई थी ; जिसके फलस्वरूप केंद्रीय सरकार को 1993 में भारी घाटा उठाना पड़ा ;

(ग) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान कितना घाटा हुआ और क्या सरकार ने दूध की खरीद और वितरण में की गई धांधली और ठेकेदारों को अधिक दर पर कीमत मंजूर न करने वाले अधिकारियों को हटा दिए जाने तथा दिल्ली दुग्ध योजना को प्रतिदिन होने वाले घाटे आदि की कोई जांच कराई है/कोई निष्पक्ष जांच कराने का विचार रखती है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) यह सही है कि दिल्ली दुग्ध योजना राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की सहायक मदर डेयरी की तुलना में हानि उठा रही है । किन्तु यह सही नहीं है कि मदर डेयरी अपना दूध कम मूल्य पर बेच रही है । वास्तव में दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा पोली पैक में बेचे जाने वाले टोन्ड दूध और मदर डेयरी द्वारा अपनी वैण्डिंग मशीनों के माध्यम से बेचे

जाने वाले टोण्ड दूध का मूल्य 9–11–1993 से बराबर अर्थात् , 7.00 रुपये प्रति लीटर है । इससे पहले मदर डेयरी बैण्डिग मशीनों के माध्यम से 8.00 रुपये प्रति लीटर कीमत पर टोण्ड दूध बेच रही थी ।

(ख) और (ग) "दिल्ली दुग्ध योजना" सरकार द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार राज्य डेयरी 'परिसंघों, सहकारी समितियों तथा निजी ठेकेदारों से दूध खरीद रही है । वर्ष 1992–93 के दौरान दिल्ली दुग्ध योजना को 33.18 करोड़ रुपए की हानि हुई थी जिसकी वजह दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा बेचे जाने वाले दूध की कीमत, उत्पादन लागत से कम होने के अलावा और कोई नहीं है और इसीलिए इसकी जांच का कोई प्रश्न नहीं उठता है ।

(घ) उपर्युक्त उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

Legislation on Plant Variety Protection

6049. SHRI S, S. AHLUWALIA: Will the Minister of AGRICULTURE be pleated to state:

(a) whether Government have initia ted steps recently to bring about legis lation quickly on the controversial issue of plant variety protection to fully safe guard the interests of farmers with re gard to the use and availability of seeds in the wake of the new GATT agree ments;

(b) if so, the important features contained in the proposed legislation to be brought forward by Govemment shortly; and

(c) by when Government is likely to bring forward the legislation?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI S. KRISHNA KUMAR): (a) and (b) A draft regislation for a sui-generis system for protection of plant varieties which is under preparation seeks to stimulate production of quality seeds, encourage Research and preserve the traditional right of the farmers to save, use, exchange, share and sell seeds except sale of branded seeds for commercial purpose. The draft legislation also seeks to protect existing varieties, and germplasm.

(c) The proposed sui-generis system will be brought forward for legislation after completion of due procedures required for the same.

DEBT Relief Scheme

6050. DR. MURLI MANOHAR JOSHI:

SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI:

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Uttar Pradesh Government have claimed Rs. 100.37 crores under the Debt Relief Scheme; if so, what are the reasons for delay in the allocation of funds to the States; and

(b) whether the Central Government are aware that the State Government are not able to finance the agricultural plans because of non reimbursement of funds and if so, what steps are being taken to disburse funds to Uttar Pradesh?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARVIND NETAM): (a) The details of the claims of cooperative banks in Uttar Pradesh under the Agricultural and Rural Debt Relief (ARDR) Scheme 1990 are given in enclosed statement. *(See* below)

(b) The implementation of plan schemes in agriculture is not linked to the release of amounts due to the State under the ARDR scheme, as plan schemes are funded separately.

A provision of Rs. 341 crores has been made in the budget for 1994-95 to